कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना (CRESEP), राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः— F4(13) PD/CRESEP/Dev/Communication & Publicity/2025-26/ 18752577 दिनांकः 10/11/25

निमित्त,

उप वन सरंक्षक (अनुसंधान),
राजस्थान, जयपुर।

बजट आवंटन आदेश संख्या—6 / 2025—26

विषयः— राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना (CRESEP) अन्तर्गत वर्ष 2025—26 हेतु बजट आवंटन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए CRESEP परियोजना अंतर्गत अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2025—26 हेतु सामग्री क्रय करने हेतु निम्नानुसार बजट आवंटन निम्नांकित शर्तों / दिशा निर्देशों के अध्याधीन किया जाता हैः—

(राशि रू. लाखों में)

बजट मद	नाम कार्य		पूर्व में बजट आवंटन	वर्तमान में बजट आवंटन वित्तीय लक्ष्य	कुल आवंटित बजट
	Package	Item			
2406-01-102-(29)-[01]-12	Strengthening Communication & Publicity	Outreach Kit	0	14.00	14.00
		Total	**0.00**	**14.00**	**14.00**

1. CRESEP परियोजना अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय हेतु अलग से लेखा पुस्तकें संधारित की जावेंगी जिनका मासिक लेखा / पुनर्भरण दावा / मासिक प्रगति प्रतिवेदन इस कार्यालय को अगले माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
2. आवंटित बजट के विरूद्ध व्यय हेतु इस कार्यालय द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार एस0एन0ए0 के माध्यम से संचालित किये जा रहे Unified P.D. Account के माध्यम से [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Kotapattu Chinnapan Albert Arun Prasad
Designation : Additional Principal Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.11.10 [illegible]:47:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18752577
eSign 1.0

पी0डी0 एकाउंट में साख सीमा जारी करने संबंधित कार्यवाही पृथक से की जा रही है एवं तदानुसार ही इस परियोजना संबंधित समस्त भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

3. उक्त राशि का व्यय नियमानुसार समयबद्ध तरीके से इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है। किसी तरह का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावे एवं बजट आवंटन से अधिक तथा सक्षम स्वीकृति के अभाव में व्यय नहीं किया जावे।
4. आवंटित बजट का उपयोग आवंटित कार्य हेतु ही किया जावे एवं व्यय करते समय JICA / राजस्थान सरकार की उपापन संबंधित दिशा–निर्देशों (RTPP Rules-2013) की पूर्णतया पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावे।
5. आवंटित बजट का व्यय नियमानुसार PMU कार्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों एवं स्वीकृत Minutes of Discussion (MOD) जिनकी Soft Copies (in pdf format) आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए किया जावे।

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
परियोजना निदेशक,
CRESEP
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– F4(13) PD/CRESEP/Dev/Communication & Publicity/2025-26/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त परियोजना निदेशक (प्रशासन, वित्त एवं समन्वय), CRESEP, राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), जयपुर।
5. उप निदेशक (वानिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं), CRESEP, राजस्थान, जयपुर।
6. उप निदेशक (आजिविका एवं अभिसरण), CRESEP, राजस्थान, जयपुर।
7. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
8. रक्षित पत्रावली

परियोजना निदेशक,
CRESEP,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref No.:
18752577
eSign 1.0

Signature valid

Digitally signed by Kotapalu Chinnapan Albert Arun Prasad
Designation : Additional Principal Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2025.11.10 [illegible]:47:03 IST
Reason: Approved